न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 11/2020

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. कुन्दनसिंह पुत्र रामसिंह 2. चन्द्रसिंह पुत्र रामसिंह 3. पाबुसिंह पुत्र रामसिंह 4. मदनसिंह पुत्र रामसिंह 5. गजेसिंह पुत्र रामसिंह जातियान राजपूत नि0 संडारडा, तह0 सोजत, जि0 पाली। 6. इन्द्रसिंह पुत्र मोहनसिंह 7. श्रवणसिंह पुत्र नारायणसिंह 8. नरपतसिंह पुत्र नारायणसिंह 9. छोटूसिंह पुत्र नारायणसिंह 10. सूरजकवंर पत्नि नारायणसिंह 11. किशनकवंर पत्नि भैरूसिंह जातियान राजपूत, नि0 संडारडा, तह0 सोजत, जि0 पाली।		1. तहसीलदार (भूमिधारक) सोजत

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः—

1. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता वादीगण उपस्थित।
2. तहसीलदार, सोजत उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक — 19/05/22

अधिवक्ता मय वादीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादी तहसीलदार, सोजत के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम संडारडा प0ह0 हिंगावास के रिवाईज्ड सेटलमेंट के वर्तमान खसरा संख्या 15 रकबा 0.6700 है0 खसरा नंबर 99 रकबा 0.8400 है0, खसरा संख्या 189 रकबा 0.5900 है0, खसरा संख्या 219 रकबा 0.1000 है0, खसरा नंबर 228 रकबा 0.2000 है0 खसरा नंबर 557 रकबा 0.4900 है0, खसरा संख्या 585 रकबा 0.4900 है0 कुल खसरा 07 कुल रकबा 3.3800 है0 भूमि स्थित है। वादी संख्या 01 से 05 के दादा रतनसिंह की वंशावली गुमानसिंह, अर्जूनसिंह, खुमानसिंह, पहाड़सिंह, रामसिंह, जालमसिंह पि0 रतनसिंह(फौत), कुन्दनसिंह, चन्द्रसिंह, पाबुसिंह, मदनसिंह, गजेसिंह पि0 रामसिंह, मोहनसिंह(फौत), नारायणसिंह(फौत), भैरूसिंह(फौत), पि0 अर्जूनसिंह, इन्द्रसिंह पुत्र मोहनसिंह(फौत), किशनकंवर पत्नि भैरूसिंह(फौत), सूरजकंवर, श्रवणसिंह, नरपतसिंह, छोटूसिह पि0 नारायणसिंह(फौत) अनुसार है। उपरोक्त वादस्थ कृषि भूमि के गत सेटलमेंट के खसरा संख्या 77 मीन, खसरा नंबर 91 मीन, खसरा नंबर 126 मीन, खसरा नंबर 137 मीन थे, उक्त कृषि भूमि गुमानसिंह वल्द रतनसिंह, राजपूत सा0 देह खातेदार के नाम से दर्ज चली आ रही थी। गुमानसिंह के भाई अर्जूनसिंह, खुमानसिंह, पहाड़सिंह, रामसिंह, जालमसिंह थे। पहाड़सिंह व जालमसिंह भी लाऔलाद फौत हो चुके है। खुमानसिंह जोरेसिंह के गोद चले जाने से रतनसिंह की सम्पति में उनका कोई हक व अधिकार नही रहा। गुमानसिंह लाऔलाद स्वर्गवास हो जाने से उनकी सम्पति के हक व अधिकार अर्जूनसिंह व रामसिंह में बराबर बराबर हक अधिकार निहित हुए। रामसिंह का स्वर्गवास हो चुका है, जिनके वारिसान वादी संख्या 01 से 05 है अर्जूनसिंह के वारिसान मोहनसिंह नारायणसिंह, भैरूसिंह हुए

जिनका स्वर्गवास हो चुका है, मोहनसिंह के वारिस वादी संख्या 06 है। नारायणसिंह के वारिसान वादी संख्या 07 से 10 है एवं भैरूसिंह के वारिस वादी संख्या 11 है। गुमानसिंह लाओलाद फौत होने से वादग्रस्त कृषि भूमि में 1/2 हक हिस्सा, वादी संख्या 01 से 05 का वादी संख्या 06 का 1/6 हक हिस्सा एवं वादी संख्या 07 से 10 का 1/6 हक हिस्सा एवं वादी सख्या 11 का 1/6 हक हिस्सा बनता है। सैटलमेंट के दौरान वादग्रस्त कृषि भूमि में गुमानसिंह वल्द रतनसिंह के स्थान पर चन्द्रसिंह, मदनसिंह, गजेसिंह पि0 गुमानसिंह के नाम से दर्ज कर दिया गया, जो गलत दर्ज हुआ था, चन्द्रसिंह मदनसिंह, व गजेसिंह, गुमानसिंह के जायन्दा पुत्र नही है, जबकि उक्त तीनो रामसिंह के पुत्र है। गुमानसिंह लाऔलाद फौत होने से उनके हक व अधिकार की वादग्रस्त कृषि भूमि के हक व अधिकार वादीगण में निहित हुए। सैटलमेंट अधिकारियो ने बिना जांच किये, उक्त नाम से वादग्रस्त कृषि भूमि दर्ज कर दी गई, जो गलत दर्ज हुई है। वादीगण वादग्रस्त कृषि भूमि पर बतौर काश्तकार के काबिज काश्त चले आ रहे है। तथा वादग्रस्त कृषि भूमि पर वादी संख्या 01 से 05 का 1/2 हिस्सा व वादी संख्या 06 से 11 को 1/2 हिस्से पर शांतिपूर्वक तरीके से काबिज काश्त चले आ रहे है। सैटलमेंट अधिकारियो द्वारा दौरान सेटलमेंट गुमानसिंह वल्द रतनसिंह के विधिक वारिसान की जांच किये बगैर नाम दर्ज कर दिया गया था, जिन्हे सुधारने हेतु वादीगण के द्वारा कई बार राजस्व कैम्प में आवेदन किया था। लेकिन सैटलमेंट के दौरान उक्त त्रुटि होने से वादीगण के हिस्से की घोषणा करवाने की हिदायत तहसीलदार,द्वारा दी गई थी। ऐसी स्थिति में वादीगण वादग्रस्त कृषि भूमि में अपने हिस्से का खातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है। बिनाय दावा दौराने सैटलमेंट, सैटलमेंट अधिकारीयो द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि के दर्ज खातेदार गुमानसिंह वल्द रतनसिंह के लाऔलाद फौत होने पर उनके विधिक वारिसान के जांच किये बिना चन्द्रसिंह, मदनसिंह, गजेसिंह पि0 गुमानसिंह के नाम से दर्ज कर देने एवं वादीगण के द्वारा उक्त त्रुटि को सुधरवाने हेतु प्रशासन गांवो के संघ में आवेदन करने पर बुकाम संडारडा तह0 सोजत में यह वाद उत्पन्न हुआ जो अन्दर म्याद पेश है। इस प्रकार अधिवक्ता मय वादी ने सरहद मौजा ग्राम संडारडा प0ह0 हिंगावास के रिवाईज्ड सेटलमेंट के वर्तमान खसरा संख्या 15 रकबा 0.6700 है0 खसरा नंबर 99 रकबा 0.8400 है0, खसरा संख्या 189 रकबा 0.5900 है0, खसरा संख्या 219 रकबा 0.1000 है0, खसरा नंबर 228 रकबा 0.2000 है0 खसरा नंबर 557 रकबा 0.4900 है0, खसरा संख्या 585 रकबा 0.4900 है0 कुल खसरा 07 कुल रकबा 3.3800 है0 में दर्ज खातेदार चन्द्रसिंह, मदनसिंह, गजेसिंह पि0 गुमानसिंह के स्थान पर वादी संख्या 01 से 05 को 1/2 हिस्सा, वादी संख्या 06 को 1/6 हक हिस्सा, वादी संख्या 07 से 10 को 1/6 हिस्सा एवं वादी संख्या 11 को 1/6 हिस्सा खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी जरिए सम्मन वास्ते जबाब दावा तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार, सोजत ने जबाब दावा पेश कर अंकित किया कि पैरा संख्या 01 स्वीकार, पैरा संख्या 2 व 3, पैरा संख्या 4 से 8 कानूनी होना बताया है। प्रस्तुत वाद पत्र में वर्णित तथ्यों व जबाब दावा अनुसार निम्न तनकी कायम की गई–

1. आया वादीगण को वादग्रस्त कृषि भूमि में दर्ज खातेदार चन्द्रसिंह, मदनसिंह , गजेसिंह पिता गुमानसिंह के स्थान पर खातेदार घोषित करवाने का अधिकारी है–

जिम्मे वादीगण–

2. अनुतोष।

अधिवक्ता वादी ने शहादत वादीगण के शपथ – पत्र मुख्य परिक्षण हेतु वादी मदनसिंह पीडब्ल्यु–1, छोटुसिंह पीडब्लु–2, कुन्दनसिंह पीडब्ल्यु–3, चन्दनसिंह पीडब्ल्यु–4, पाबुसिंह पीडब्ल्यु–5 के तस्दीक सुदा शपथ पत्र पेश कर बयान कलमबद्ध करवाएं एवं दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये। तथा दस्तावेश प्रदर्श करवाये गये जिसके अनुसार अधिवक्ता

वादी ने वाद पत्र के संलग्न प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2073–76, प्रदर्श–1, खसरा गिरदावरी सम्वत् 2073 प्रमाणित प्रति प्रदर्श–2, भू0प्रबन्ध विभाग का खसरा मिलान प्रदर्श–3, जमाबंदी सम्वत् 2027–30 प्रदर्श–4, खतोनी बन्दोबस्त सम्वत् 2010–19 प्रदर्श–5, 6 है की प्रमाणित प्रतियॉ, पेश किए, सामिल मिसल है।

शहादत प्रतिवादी में तहसीलदार सोजत की ओर से पटवारी हल्का हिंगावास के बयान कलमबद्ध करवाये गये सा.मि. है।

वाद प्रकरण में कायम की गई तनकियात तनकियात को बाद विवेचन / विश्लेशण निम्नांकित रूप से विनिश्चत किया जाता है–

1. आया वादीगण को वादग्रस्त कृषि भूमि में दर्ज खातेदार चन्द्रसिंह, मदनसिंह, गजेसिंह पिता गुमानसिंह के स्थान पर खातेदार घोषित करवाने का अधिकारी है–

अधिवक्ता मय वादीगण ने अपने वाद की ताईद में प्रस्तुत खतौनीबन्दोबस्त 2010–2019 प्रदर्श 6 से प्रमाणित होता कि गुमानसिंह , अर्जुनसिह, रामसिंह ,लालसिंह पाडसिंह मूल पुरूष रतनसिंह के विधिक वारिसान है। उपरोक्त वादस्थ कृषि भूमि के गत सेटलमेंट के खसरा संख्या 77 मीन, खसरा नंबर 91 मीन, खसरा नंबर 126 मीन, खसरा नंबर 137 मीन थे, वादस्थ कृषि भूमि गुमानसिंह वल्द रतनसिंह, राजपूत सा0 देह खातेदार के नाम से दर्ज चली आ रही थी प्रदर्श 3 से बखूबी प्रमाणित होता है। सैटलमेंट के दौरान वादग्रस्त कृषि भूमि में गुमानसिंह वल्द रतनसिंह के स्थान पर चन्द्रसिंह, मदनसिंह, गजेसिंह पि0 गुमानसिंह के नाम से दर्ज कर दिया गया प्रदर्श 3 खसरा मिलान से बखूबी साबित होता है। चूकि गुमानसिह लाऔलाद फौत हो चुका है इस कारण चन्द्रसिंह मदनसिंह, व गजेसिंह, गुमानसिंह के जायन्दा पुत्र नही होकर रामसिंह के पुत्र है। मूल पुरूष रतनसिंह के कुल 06 पुत्र हुए जिनमें से गुमानसिह, पहाडसिंह, जालमसिंह लाऔलाद फौत हो गये तथा खुमानसिह गोदे चले जाने से इन चारो उतराधिकारी के हक हिस्सा सम्पूर्ण वादस्थ भूमि का 1/2, 1/2 हक हिस्सा हिस्सा कमशः अर्जूनसिंह, रामसिंह मे समाहित हो गये है। अर्जूनसिह के तीन पुत्र कमशः मोहनसिंह, नारायणसिह, भैरूसिंह हुए। जिनका वादस्थ भूमि में प्रत्येक का 1/6 हिस्सा रहा है जिनमें से नारायणसिह फौत होने से उनका 1/6 हिस्सा इनके उतराधिकारी सुरज कंवर, श्रवण कंवर, नरपतसिंह, छौटुसिंह समाहित हो चुका है। इसी प्रकार रामसिंह के विधिक वारिसान कमश कुन्दनसिह, चन्द्रसिहं, पाबुसिंह, मदनसिह, गजेसिंह हुए जिनका प्रत्येक का 1/6 हिस्सा नोशनल शेयर से होना बखुबी प्रमाणित होता है। फलतः तनकी संख्या 01 बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी तय की जाती है।

बहस अधिवक्ता वादी तथा प्रतिवादी तहसीलदार सोजत सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने बहस के दौरान व्यक्त किया कि सरहद मौजा ग्राम संडारडा प0ह0 हिंगावास के रिवाईज्ड सेटलमेंट के वर्तमान खसरा संख्या 15 रकबा 0.6700 है0 खसरा नंबर 99 रकबा 0.8400 है0, खसरा संख्या 189 रकबा 0.5900 है0, खसरा संख्या 219 रकबा 0.1000 है0, खसरा नंबर 228 रकबा 0.2000 है0 खसरा नंबर 557 रकबा 0.4900 है0, खसरा संख्या 585 रकबा 0. 4900 है0 कुल खसरा 07 कुल रकबा 3.3800 है0 में दर्ज खातेदार चन्द्रसिंह, मदनसिंह, गजेसिंह पि0 गुमानसिंह के स्थान पर वादी संख्या 01 से 05 को 1/2 हिस्सा, वादी संख्या 06 को 1/6 हक हिस्सा, वादी संख्या 07 से 10 को 1/6 हिस्सा एवं वादी संख्या 11 को 1/6 हिस्सा खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की है। प्रतिवादी तहसीलदार, सोजत ने भी वाद पत्र में वर्णित तथ्यों की संपुष्टि हो जाने से कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मय शपथ पत्र, दस्तावेजात साक्ष्य सबूत बतौर प्रस्तुत शपथ पत्रों का गहनतापूर्वक

अध्ययन किया गया तथा बहस अधिवक्ता वादी तथा प्रतिवादी तहसीलदार सोजत पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः मूल पुरूष रतनसिंह के मूल पुरूष मूल पुरूष रतनसिंह के कुल 06 पुत्र हुए जिनमें से गुमानसिह, पहाडसिंह, जालमसिंह लाऔलाद फौत हो गये तथा खुमानसिह गोद चले जाने से इन चारो उतराधिकारी के हक हिस्सा सम्पूर्ण वादस्थ भूमि का 1/2, 1/2 हक हिस्सा हिस्सा कमशः अर्जूनसिंह, रामसिंह मे समाहित हो गये है। अर्जूनसिह के तीन पुत्र कमशः मोहनसिंह, नारायणसिह, भैरूसिंह हुए। जिनका वादस्थ भूमि में प्रत्येक का 1/6 हिस्सा रहा है जिनमें से नारायणसिह फौत होने से उनका 1/6 हिस्सा इनके उतराधिकारी सुरज कंवर, श्रवण कंवर, नरपतसिंह, छौटुसिंह समाहित हो चुका है। इसी प्रकार रामसिंह के विधिक वारिसान कमश कुन्दनसिह, चन्द्रसिहं, पाबुसिंह, मदनसिह, गजेसिंह हुए जिनका प्रत्येक का 1/6 हिस्सा नोशनल शेयर से होना बखुबी प्रमाणित होता है। लिहाजा अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में वर्णित तथ्यों की शपथ पत्रों से संपुष्टि होने से स्वीकार किया जाना तथा सरहद मौजा संडारडा प0ह0 हिंगावास के रिवाईज्ड सेटलमेंट के वर्तमान खसरा संख्या 15 रकबा 0.6700 है0 खसरा नंबर 99 रकबा 0.8400 है0, खसरा संख्या 189 रकबा 0.5900 है0, खसरा संख्या 219 रकबा 0.1000 है0, खसरा नंबर 228 रकबा 0.2000 है0 खसरा नंबर 557 रकबा 0.4900 है0, खसरा संख्या 585 रकबा 0.4900 है0 कुल खसरा 07 कुल रकबा 3.3800 है0 में दर्ज खातेदार चन्द्रसिंह, मदनसिंह, गजेसिंह पि0 गुमानसिंह के स्थान पर वादी संख्या 01 से 05 को 1/2 हिस्सा, वादी संख्या 06 को 1/6 हक हिस्सा, वादी संख्या 07 से 10 को 1/6 हिस्सा एवं वादी संख्या 11 को 1/6 हिस्सा खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किया जाना उचित समझते है।

—: आदेश :—

अतः डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर सादिर की जाती है कि अधिवक्ता मय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा संडारडा प0ह0 हिंगावास के रिवाईज्ड सेटलमेंट के वर्तमान खसरा संख्या 15 रकबा 0.6700 है0 खसरा नंबर 99 रकबा 0.8400 है0, खसरा संख्या 189 रकबा 0.5900 है0, खसरा संख्या 219 रकबा 0.1000 है0, खसरा नंबर 228 रकबा 0.2000 है0 खसरा नंबर 557 रकबा 0.4900 है0, खसरा संख्या 585 रकबा 0.4900 है0 कुल खसरा 07 कुल रकबा 3.3800 है0 में दर्ज खातेदार चन्द्रसिंह, मदनसिंह, गजेसिंह पि0 गुमानसिंह के स्थान पर वादी संख्या 01 से 05 को 1/2 हिस्सा, वादी संख्या 06 को 1/6 हक हिस्सा, वादी संख्या 07 से 10 को 1/6 हिस्सा एवं वादी संख्या 11 को 1/6 हिस्सा खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जाकर पत्रावली बद्ध किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 19/05/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

बइजलाश श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. कुन्दनसिंह पुत्र रामसिंह 2. चन्द्रसिंह पुत्र रामसिंह 3. पाबुसिंह पुत्र रामसिंह 4. मदनसिंह पुत्र रामसिंह 5. गजेसिंह पुत्र रामसिंह जातियान राजपूत नि0 संडारडा, तह0 सोजत, जि0 पाली। 6. इन्द्रसिंह पुत्र मोहनसिंह 7. श्रवणसिंह पुत्र नारायणसिंह 8. नरपतसिंह पुत्र नारायणसिंह 9. छोटूसिंह पुत्र नारायणसिंह 10. सूरजकवंर पत्नि नारायणसिंह 11. किशनकवंर पत्नि भैरूसिंह जातियान राजपूत, नि0 संडारडा, तह0 सोजत, जि0 पाली।		1. तहसीलदार (भूमिधारक) सोजत

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या :– 11/2020

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता वादीगण श्री महेन्द्र चौधरी तथा प्रतिवादी तहसीलदार, सोजत पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा संडारडा प0ह0 हिंगावास के रिवाईज्ड सेटलमेंट के वर्तमान खसरा संख्या 15 रकबा 0.6700 है0 खसरा नंबर 99 रकबा 0.8400 है0, खसरा संख्या 189 रकबा 0.5900 है0, खसरा संख्या 219 रकबा 0.1000 है0, खसरा नंबर 228 रकबा 0.2000 है0 खसरा नंबर 557 रकबा 0.4900 है0, खसरा संख्या 585 रकबा 0.4900 है0 कुल खसरा 07 कुल रकबा 3.3800 है0 में दर्ज खातेदार चन्द्रसिंह, मदनसिंह, गजेसिंह पि0 गुमानसिंह के स्थान पर वादी संख्या 01 से 05 को 1/2 हिस्सा, वादी संख्या 06 को 1/6 हक हिस्सा, वादी संख्या 07 से 10 को 1/6 हिस्सा एवं वादी संख्या 11 को 1/6 हिस्सा खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। हसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान – मुबलिग — बाबत —

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 19/05/22 को जारी की गई।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			
मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.